

राष्ट्रीय कर अधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2007

(2007 का अधिनियम संख्यांक 18)

[3 अप्रैल, 2007]

राष्ट्रीय कर अधिकरण अधिनियम, 2005
का संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के अठारहवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय कर अधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2007 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) यह 29 जनवरी, 2007 का प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2005 का 49

2. राष्ट्रीय कर अधिकरण अधिनियम, 2005 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 5 की उपधारा (5) में, — धारा 5 का संशोधन।

(i) “अध्यक्ष के परामर्श से,” शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु किसी सदस्य का अंतरण अध्यक्ष की सहमति के बिना नहीं किया जाएगा।”।

धारा 6 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के खंड (ख) में "सात वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पांच वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 13 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) में "या किसी व्यक्ति को सम्यक् रूप से प्राधिकृत कर सकेगा" शब्दों का लोप किया जाएगा।

निरसन और व्यावृत्ति।

5. (1) राष्ट्रीय कर अधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2007 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

2007 का अध्यादेश
संख्यांक 3

(2) राष्ट्रीय कर अधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2007 के निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

2007 का अध्यादेश
संख्यांक 3

राष्ट्रपति ने दि नेशनल टैक्स ट्रिब्यूनल (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2007 के उपरोक्त हिन्दी अनुवाद को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।

The above translation in Hindi of the National Tax Tribunal (Amendment) Act, 2007 has been authorised by the President to be published in the Official Gazette under clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Official Languages Act, 1963.

सचिव, भारत सरकार।

Secretary to the Government of India.